

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़
आदेश पत्रक

राज्यसात वाद संख्या-17/2024

राज्य बनाम् ट्रैक्टर सं० अंकित नहीं, Chassis No.-WWTK30405038789,
Engine No.-391354/SPK10589A के स्वामी एवं अन्य (चार वाहन)

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

19/05/25

-:: आदेश ::-

अभिलेख उपस्थापित। यह राज्यसात की कार्रवाई जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक-253/खनन, दिनांक-16.03.2024 द्वारा माण्डू (घाटोटोड ओ०पी०) थाना काण्ड संख्या-55/2024, Jharkhand Minerals (Prevention Of Illegal Mining Transportation & Storage) Rules-2017 & 54 Jharkhand Mineral Concession Rule-2004 And 21 Mines & Minerals (Regulation & Development) Act-1957 के अंतर्गत 1. ट्रैक्टर सं० अंकित नहीं, Chassis No.-WWTK30405038789, Engine No.-391354/SPK10589A में लदा 100 घन फीट बालू, 2. ट्रैक्टर सं० अंकित नहीं, Chassis No.-MBNAK 48ACPT03475, Engine No.-CJ134/ SED07459 में लदा 100 घन फीट बालू, 3. ट्रैक्टर सं० अंकित नहीं, Chassis No.-MBNAJ48AEKTP29328, Engine No.-CJ1354/ KNQ13360 में लदा 100 घन फीट बालू, 4. ट्रैक्टर सं० अंकित नहीं, Chassis No.-MBNAJ48AEKTM25501, Engine No.-CJ1354/SA M13653 में लदा 100 घन फीट बालू एवं 5. ट्रैक्टर सं० अंकित नहीं, Chassis No.-MBNAK48ACPT03473, Engine No.-1354/SED07462 में लदा 100 घन फीट बालू को राज्यसात की कार्रवाई हेतु प्रस्ताव न्यायालय को प्राप्त है।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा W.P.(Cr.) No.-1072/2023, W.P.(C) No.-6788/2023, W.P.(C) No.-7531/2023 में पारित आदेश के आलोक में वाद की कार्यवाही बिना प्रभावकारी आदेश के समाप्त की जाती है। तदनुसार जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ को अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। आदेश की प्रति जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ को भेजे।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chanday
19/05/25

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

Chanday
19/05/25

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।